जिला एवं सत्र न्यायालय बलिया ।

नीलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय बलिया निष्प्रयोज्य घोषित किये गये फर्नीचरों/उपस्करों जिसकी सूची इसके साथ संलग्न है, को नीलाम किया जाना आवश्यक है । नीलाम की कार्यवाही खुली बोली के आधार परकी जायेगी ।**नीलामी हेतु दिनाकं 01।10।2024 की तिथि नियत की जाती है ।** नीलामी दस कक्षीय न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में सायंकाल 04 वजे सम्पन्न की जायेगी ।

अत: जिन महानुभाव को निष्प्रयोज्य फर्नीचरों/उपस्करों की नीलामी लेनी हो, नियत दिनाकं 01।10।2024 को नियत समय व स्थन पर उपस्थित होकर निम्न नीलामी शर्तो का पालन करते हुए नीलामी में भाग ले सकते हैं ।

नीलामी की शर्ते

1- उक्त निष्प्रयोज्य फर्नीचरों/उपस्करों की नीलामी हेतु लोक निर्माण विभाग की मुल्यांकन आख्या अंकन 22430/- रूपये के आधार पर सरकारी वोली की धनराशि मानी जायेगी ।

2- नीलामी प्रकिया में भाग लेने वाले प्रत्येक आवेदन कर्ता को मु0 6000/-रूपये वतौर जमानत नकद जमा करना होगा एवं धन जमा करने वाला व्यक्ति ही नीलामी में प्रतिभागी होगा अन्य व्यक्ति प्रतिभागी नही होगा । जमानत की धनराशि दिनाकं 30।09।24 तक नजारत में जमा की जायेगी । नियत तिथि तक जमानत की धनराशि जमा न करने पर नीलामी में किसी प्रकार से भाग नही ले सकेगें ।

3- नीलामी में जिस प्रतिभागी द्वारा उच्चतम वोली लगायी जायेगी उस प्रतिभागी की जमा जमानत धनराशि नीलामी की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी । शेष प्रतिभागी द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि उन्हे वापस कर दी जायेगी ।

4- नीलामी के पूर्व कार्यालय अवधि में किसी भी कार्य दिवस को केन्द्रीय नाजिर से सम्पर्क करके निष्प्रयोज्य फर्नीचरों/उपस्करों का निरीक्षण किया जा सकता है ।

5- माननीय जनपद न्यायाधीश वलिया को अधिकार होगा कि विना कारण वताए किसी भी वोली को मान्य अथवा अमान्य कर सकते हैं ।

6- नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड की स्व हस्ताक्षरित प्रति तथा एक पासपोर्ट साईज फोटो लगाकर दाखिल करना होगा तथा मूल साथ लाना आवश्यक होगा ।

7- नीलामी स्वीकृत होने पर नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा जमानत धनराशि के अतिरिक्त अन्तिम वोली की शेष धनराशि को उसी दिन या अगले कार्यदिवस में नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा । नीलामी की शेष धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।

8- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 में लोक नीलामी के पैरा 8 के अनुसार प्रत्येक वोलीकर्ता अपनी वोली से वाध्य होगा । चाहे वह उॅची अथवा नीची हो किसी भी दशा में नीलामी की राशि माफी योग्य नही होगी ।

9- नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात 10 दिन के अन्दर नीलाम सुदा फर्नीचरों/उपस्करों को नीलाम प्राप्तकर्ता अपने खर्च पर न्यायालय परिसर से ले जायेगा। अनुपालन न करने पर प्रतिदिन 500/- रूपये की दर से विलम्वशुल्क देय होगा ।

23.9.24.

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य/नीलाम समिति
जनपद न्यायाधीश
वलिया

प्रतिलिपि निम्न को नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2 जिलाधिकारी के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
3 नगरपालिका वलिया के नोटिस वोर्ड पर वस्पा हेतु ।
4 माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5 जिला सूचना अधिकारी वलिया को शा0सं0 562/उन्नीस 220071007/74 टीसी दिनाकिंत 4।7।2007 के अनुपालन में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
6 जनपद न्यायालय वलिया के वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

23.9.24.

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य/नीलाम समिति
जनपद न्यायाधीश
वलिया